

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226290
SG-DL-E-01042021-226290

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/ चैत्र 10, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 389
No. 112]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/ CHAITRA 10, 1943	[N. C. T. D. No. 389

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

सं.एफ. 1/55/गु.चु.नि./2016/3150.—यद्यपि उपराज्यपाल दिल्ली ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 (1971का 82वां) की धारा 3 के अन्तर्गत जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (सदस्यों का चुनाव) नियमावली, 1974 के नियम 11 के सहित पठित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी गुरुद्वारा वार्ड के सिख मतदाताओं को उनके संबंधित गुरुद्वारा वार्ड के सदस्यों के निर्वाचन के लिए दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. 1/55/गु.चु.नि./2016/3149 दिनांक 31.03.2021 द्वारा आमंत्रित किया है।

अब, इसलिए, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (सदस्यों का चुनाव) नियमावली, 1974 के नियम 12 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं नरिंदर सिंह, निदेशक, गुरुद्वारा चुनाव, दिल्ली उपरोक्त चुनाव के संबंध में नामांकन भरने हेतु तिथियों आदि की घोषणा, निम्न प्रकार से करता हूँ :

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| (क) 7 अप्रैल, 2021 (बुधवार) | नामांकन भरने की अंतिम तिथि |
| (ख) 8 अप्रैल, 2021 (गुरुवार) | नामांकन पत्रों की जांच की तिथि |
| (ग) 10 अप्रैल, 2021 (शनिवार) | उम्मीद्वारी वापस लेने की अंतिम तिथि |

(घ) 25 अप्रैल, 2021 (रविवार)

मतदान की तिथि, यदि आवश्यक हो

(ङ) 29 अप्रैल, 2021 (गुरुवार)

चुनाव प्रक्रिया जिस तिथि के पूर्व सम्पन्न हो

उपरोक्त नियमों के नियम 36 के प्रावधानों के अंतर्गत, निदेशक, गुरुद्वारा चुनाव, उपरोक्त चुनाव में मतदान हेतु प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक (बिना किसी विराम के) का समय निर्धारित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
नरिंदर सिंह, निदेशक

DIRECTORATE OF GURDWARA ELECTIONS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2021

No. F.1/55/DGE/2016/3150.—WHEREAS the Lieutenant Governor, Delhi, in exercise of powers conferred upon him under Section 3 of Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971 (82 of 1971) read with Rule 11 of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Election of Members) Rules, 1974, has called upon the Sikh Electors of all the Gurdwara Wards of National Capital Territory of Delhi to elect members of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee in respect of their respective Gurdwara Wards vide Notification No. F.1/55/DGE/2016/3149, dated 31.03.2021.

Now, therefore, in exercise of the said powers and in pursuance of the provisions of Rule 12 of the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Election of Members) Rules, 1974, I, Narinder Singh, Director, Gurdwara Elections, Delhi, hereby further appoint, with respect to the above said election, the dates for filling nominations etc., as under:

- | | |
|---------------------------------|---|
| (a) 7th April, 2021 (Wednesday) | as the last date for filing nominations. |
| (b) 8th April, 2021 (Thursday) | as the date for scrutiny of nominations. |
| (c) 10th April, 2021 (Saturday) | as the last date for withdrawal of the candidature. |
| (d) 25th April, 2021 (Sunday) | as the date of poll, if necessary. |
| (e) 29th April, 2021 (Thursday) | as the date before which the election shall be completed. |

The Director, Gurdwara Election hereby further appoints the hours of poll in respect of the aforesaid election as “08.00 AM to 05.00 PM (without break)” as required under Rule 36 of the aforesaid Rules.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
NARINDER SINGH, Director